कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

पत्रांक 3425 / ओ0एस0डी0 / डीएम / कोरोना–2020 दिनांक : 29 मार्च 2020

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या–3461 / ओएसडी / डीएम–कोरोना / 2020 दिनांक 22–03–2020 व आदेश संख्या–3469 / ओएसडी / डीएम–कोरोना / 2020 दिनांक 23–3–2020 संशोधित आदेश संख्या– दिनांक 24–3–2020 द्वारा पारित आदेश में लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के आदेश में होम डिलीवरी सुनिश्चत कराने के दृष्टिगत निम्न संशोधन किये गये हैं :–

1. जनपद में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की समय सीमा नहीं होगी और होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की सेवा प्रत्येक दिन 24 घण्टे खुली रहेगी और इनके द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग संबंधी प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।
2. आवश्यक वस्तुओं की दुकानों और मण्डियों से आपूर्ति के लिए पूर्व में निर्धारित 04.00 बजे प्रातः से 11.00 बजे प्रातः तक की समय सीमा यथावत् लागू रहेगी। प्रातः 11.00 बजे के बाद दुकानों से कोई विक्रय नहीं होगा और केवल होम डिलीवरी द्वारा ही सामान की आपूर्ति की जायेगी।
3. गैस आपूर्ति / पेट्रोल पम्प / दवा की दुकानों के लिए खुलने की कोई समय सीमा नहीं होगी।
4. दुकानों से होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी माध्यमों जैसे–रिक्शा / ठेला / साइकिल / मोटर साइकिल अथवा पैदल डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों के पास निर्गत करने हेतु क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों के साथ ही क्षेत्र के थाना प्रभारियों को भी अधिकृत किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के दुकानदार उक्त कार्य हेतु थाना प्रभारियों से भी पास बनवा सकेंगें।
5. फल / दूध / सब्जी / मछली / अण्डा आदि खाद्य पदार्थो को ठेला / ठिलिया / बुग्गी / लोडर / मोटर साइकिल (केवल दूधिया के लिए) / पिकप / घोड़ा गाड़ी / बैल–भैसा गाड़ी / ई–रिक्शा / साइकिल रिक्शा / हाथगाड़ी / फेरी लगाने वालों के लिए पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु वापसी में इनसे यात्री परिवहन की मनाही होगी।

6.

उक्त आदेश जनपद कानपुर नगर के लिये तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर ।
3– नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
4– मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।

5— समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर।

6— अपर जिलाधिकारी, भू०अ०/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, कानपुर नगर।

7— नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट को आ०का०हेतु।

8— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कानपुर नगर।

9— उपायुक्त, जी०एस०टी०, कानपुर नगर।

10— जिला पंचायत राज अधिकारी, कानपुर नगर।

11— जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर नगर।

12— उप निदेशक, सूचना, कानपुर नगर को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

13— पुलिस कन्ट्रोल रूम को समस्त थाना प्रभारी जनपद कानपुर नगर को सूचित करने हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।